न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible] बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मु.नं. - 60/2014
31-5-23	[illegible] पेश हुई। वकुलाय [illegible] उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली अग्रिम [illegible] हेतु दिनांक 24-07-23 [illegible]
24-7-23	पत्रावली पेश [illegible] वकुलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। [illegible] अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में [illegible] मीटिंग में हैं। [illegible] अग्रिम [illegible] हेतु दिनांक 4-8-23 [illegible] हो।
4-8-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8-8-23 को पेश हो।
8-8-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17-8-23 को पेश हो।
17.08.2023 मुताबिक राजीनामा हम सहमत हैं	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण में राजीनामा हो जाने से आज [illegible] सुनी [illegible] निस्तारण मुताबिक राजीनामा [illegible] उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक राजीनामा निस्तारण किये जाने सहमति व्यक्त किये जाने पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहु पक्षीय सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये

— लगातार —

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:28 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन सिंह बनाम बंसी सिंह

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

नाम

इन्द्र. 60/2014

जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore
17/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह **(RAS)**

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
60 / 2014	2014 / 0851	25.02.2014	17.08.2023

उनवान प्रकरण

1. भगवानसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति जाट आयु 40 वर्ष निवासी ढाणी खोखरावाली, वार्ड नम्बर 5 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

–वादी

बनाम्

1. बंशीसिंह पुत्र हरदेवाराम जाति जाट आयु 58 वर्ष जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 5, जालपाली मोड, नगरपालिका क्षेत्र श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
2. दौलतसिंह पुत्र हरदेवाराम आयु 55 वर्ष
3. जडाव देवी बेवा सज्जनसिंह आयु 55 वर्ष
4. विजय पुत्र सज्जनसिंह आयु 35 वर्ष
5. कैलाश पुत्र सज्जनसिंह आयु 30 वर्ष
6. संतोष पुत्री सज्जनसिंह आयु 35 वर्ष
7. बिमला पुत्री सज्जनसिंह आयु 30 वर्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:28 IST
Reason: SelfAttested

17/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

8 सुलोचना पुत्री सज्जनसिंह आयु 25 वर्ष

9 सुमन पुत्री सज्जनसिंह आयु 23 वर्ष

10 अंजनी पुत्री सज्जनसिंह आयु 17 वर्ष

11 सीमा पुत्री सज्जनसिंह आयु 15 वर्ष

प्रतिवादीगण नम्बर 10 व 11 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता जडाव देवी पत्नि सज्जनसिंह

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी खोखरावाली वार्ड नम्बर 5, श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

12. प्रभाती देवी पुत्री हरदेव पत्नि परसाराम आयु 84 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी खोखरावाली वार्ड नम्बर 5 श्रीमाधोपुर हाल भोजपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.

13. शोभा उर्फ गोमा पुत्री हरदेव पत्नि बनवारीलाल जाति जाट निवासी ढाणी खोखरावाली वार्ड नम्बर 5 श्रीमाधोपुर हाल निवासी घसीपुरा (कांवट) तहसील खण्डेला जिला सीकर।

14. विमलेश पत्नि वंशीसिंह आयु 55 वर्ष

15. रविन्द्रसिंह पुत्र वंशीसिंह आयु 24 वर्ष

16. प्रशान्त पुत्र वंशीसिंह आयु 26 वर्ष

17. पायल पत्नि रविन्द्रसिंह आयु 19 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 5, जालपाली मोड, नगरपालिका क्षेत्र श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

18. भूमिधारक श्रीमाधोपुर जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:28 IST
Reason: SelfAttested

12/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

19 पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर जिला सीकर

20 सबरजिस्ट्रार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

---प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

श्री बनवारी लाल कुडी, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री भंवर सिंह, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 अभिभाषक।

श्री प्रकाश चन्द गूण्ड, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 11 अभिभाषक।
(हिदायत पैरवी नहीं किये जाने से प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 11 के विरूद्ध दिनांक 02.02.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई)

दावा बाबत इस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा
88, 188 आर.टी.एक्ट
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

--:: निर्णय ::--

सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2127, 2128, 2129, 2131, 2135, 2136, 2504 से 2508 कुल किता 11 कुल रकबा 3.34 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसके 1/4 हिस्से का खातेदार वादी व प्रतिवादीगण के बुजुर्गान/दादा व पिता हरदेवाराम दर्ज था। जिसका देहान्त हो चुका है। भूमि खसरा नम्बर 25[illegible] कुल रकबा 3.45 हैक्टर तन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:28 IST
Reason: SelfAttested

17/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर मे स्थित होकर 1/6 हिस्सा की खातेदारी मृत्तक हरदेव के नाम दर्ज थी। जिसका देहान्त हो गया है। भूमि खसरा नम्बर 1598 रकबा 1.20 हैक्टर तन ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान मे स्थित होकर सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी मृत्तक हरदेव के नाम से दर्ज थी। वादी एव प्रतिवादीगण का सजरा खानदान रिकार्ड पर पेश किया गया है। विरासत के अनुसार विवादग्रस्त भूमि दावा की वर्णित मद संख्या 1 की भूमि के 1/24 हिस्से का खातेदार रिछपालसिंह के वारिसान को प्राप्त हो गया एवं रिछपालसिंह के उत्तराधिकारी सरती देवी, गुलाब देवी, अनिता देवी, बिमलेश देवी ने अपने हिस्से का हकत्याग वादी के हक मे दिनांक 30.11.2009 को कर दिया था। इसी प्रकार वादी दावा की उक्त वर्णित मद नम्बर 1 में भूमि के 1/24 हिस्से का खातेदार हो गया। प्रतिवादीगण शोभा उर्फ गोमा व प्रभाती ने अपने 1/12 हिस्से का हकत्याग वादी के हक मे तहरीर तकमील कराकर दिनांक 30.11.2009 को तस्दीक करा दिया था। इस प्रकार वादी विवादित भूमि के दावा की मद नम्बर 1 का 1/8 हिस्सा का खातेदार हो चुका है ओर 1/8 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी हैं। विवादग्रस्त भूमि उक्त वर्णित मद संख्या 2 के भूमि के 1/6 हिस्से का खातेदार मृत्तक हरदेव था और विरासत के अनुसार वादी भगवानसिंह अपनी माता व बहिन के द्वारा हकत्याग करने पर 1/36 हिस्से का खातेदार हो चुका है एवं प्रतिवादीगण प्रभाती देवी व शोभा उर्फ गोमा देवी ने अपने 1/18 हिस्से का हकत्याग वादी के हक में दिनांक 30.11.2009 को सब रजिस्ट्रार श्रीमाधोपुर में उपस्थित होकर [illegible] दिया था। इस प्रकार वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:28 IST
Reason: SelfAttested

17/08/25
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

विवादग्रस्त भूमि की मद संख्या 2 में उक्त वर्णित भूमि के अनुसार 1/12 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हो चुका है एवं इसी अनुसार 1/12 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने का अधिकारी है। भूमि खसरा नम्बर 1598 रकबा 1.28 हैक्टर वन ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का खातेदार हरदेव था। उसका देहान्त होने पर विरासत के अनुसार 1/6 हिस्सा का खातेदार रिछपालसिंह के वारिसान के द्वारा वादी के हक मे हकत्याग तस्दीक करवाने के कारण 1/6 हिस्सा का खातेदार हो चुका है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण प्रभाती देवी व शोभा उर्फ गोमा के द्वारा उनके 1/3 हिस्से की खातेदार का हकत्याग वादी के हक में दिनांक 30.11.2009 को तहरीर तकमील कराकर तस्दीक करा दिया था। इस प्रकार खसरा नम्बर 1598 के 1/2 हिस्से का खातेदार वादी हो चुका है एवं 1/6 हिस्सा का खातेदार प्रतिवादी बंशीसिंह, 1/6 हिस्सा का खातेदार दौलतसिंह, 1/6 हिस्से का खातेदार प्रतिवादीगण नम्बर 3 से 11 हो चुके है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज कराने का वादी अधिकारी है। उक्त हकत्याग दिनाक 30.11.2009 के आधार पर पटवारी हल्का मउ ने सही रूप से नामान्तरकरण भरकर तस्दीक करवा दिया हैं। जिसके अनुसार 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम दर्ज हो चुकी है व 1/6 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 बंशीसिंह के व 1/6 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी दौलतसिह व 1/6 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 3 से 11 के नाम दर्ज हो चुकी है ओर इस खसरा नम्बर में विरासत के अनुसार व हकत्याग के अनुसार वादी 1/2 हिस्से का खातेदार हैं। प्रतिवादी बंशीसिंह व वादी के पिता रिछपालसिंह ने पारिवारिक समझौता के अनुसार अपने हिस्से की भूमि

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:28 IST
Reason: SelfAttested

17/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

का बाहमी बटवारा किया था। जिसके अनुसार विवादित भूमि का प्रतिवादी नम्बर 1 बशीसिंह का 1/24 हिस्सा था। वह रिछपालसिंह ने प्रतिवादी नम्बर 1 बशीसिंह से लेकर कब्जा प्राप्त कर लिया था एवं इसके बदले प्रतिवादी बशीसिंह ने भूमि खसरा नम्बर 1598 रकबा 1.20 हैक्टर मे से रिछपालसिंह का 1/6 हिस्सा लेकर उसके 1/6 हिस्सा पर कब्जा कर लिया था। इस बाबत याददाश्ती के रूप मे अनुबन्ध पत्र दिनांक 28.10.2006 को स्टाम्प पर भी लिखकर एक दूसरे को दे दिया था तथा अपने-अपने हस्ताक्षर-अगूठा निशानी इस अनुबन्ध पत्र पर कर दी थी। इस प्रकार वादी उक्त वर्णित मद संख्या 1 की भूमि मे 1/6 हिस्से का खातेदार हो चुका है एवं वादी 1/6 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है व प्रतिवादी बशीसिंह व उसके परिवारजन प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 16 का किसी प्रकार का विवादग्रस्त भूमि मद संख्या 1 के कब्जे काश्त से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है एवं वादी 1/6 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है एवं दावे की उक्त वर्णित भूमि के 1/24 हिस्से का खातेदार दौलतसिंह व 1/24 हिस्से का खातेदार प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 11 है। इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी मद संख्या 2 की विवादग्रस्त भूमि के 1/36 हिस्से का खातेदार विरासत के अनुसार हो चुका है एवं 1/18 हिस्से का हकत्याग प्रतिवादीगण प्रभाती देवी व शोभा उर्फ गोमा देवी के द्वारा वादी के हक में तस्दीक कराने पर हो चुका है एवं इस प्रकार दावा की मद संख्या 2 में उक्त वर्णित भूमि के 1/12 हिस्से का खातेदार वादी हो चुका है एवं 1/12 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने का अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:28 IST
Reason: SelfAttested

17/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

है परन्तु पटवारी हल्का ने गलत इन्द्राज कर दिया था। जिसे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है एवं पटवारी हल्का ने सही रूप से खातेदारी दर्ज नही है। विवादित भूमि की खातेदारी वादी के नाम उक्त मद सख्या 5 में वर्णितानुसार 1/8 हिस्से की व मद सख्या 6 में वर्णित भूमि 1/12 हिस्सा वादी के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही होने से वादी को काफी हकतल्फी हैं। इससे वादी के अधिकारों पर भी विपरित असर पडता है। प्रतिवादीगण प्रभाती देवी व शोभा उर्फ गोमा देवी ने विवादित भूमि उपरोक्त में से अपना हिस्से का हकत्याग वादी के हक में दिनांक 30.11.2009 को तहरीर तकमील कराकर तस्दीक करवा दिया था। उसके बाद में अगर प्रतिवादीगण प्रभाती देवी व शोभा उर्फ गोमा देवी ने कोई अन्तरण सम्बन्धी दस्तावेज करवाया है तो उससे वादी पाबन्द नही है व उसे वादी अपने प्रति शून्य व प्रभावहीन घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने वादी को दिनांक 20.02.2014 को विवादित भूमि दावे की मद सख्या 1 लगायत 3 से उसको बेदखल करने व जबरन कब्जा करने की धमकी देने पर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने दावा पेश कर वादी का दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस प्रकार डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि वादी भूमि खसरा नम्बर 2127, 2128, 2129, 2131, 2135, 2136, 2504 से 2508 कुल किता 11 कुल रकबा 3.34 हैक्टर तन श्रीमाधोपुर के 1/6 हिस्सा का खातेदार हो चुका है एव वादी 1/6 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है एवं इस 1/6 हिस्से से प्रतिवादीगण बंशीसिंह, प्रभाती देवी, गोमा उर्फ शोभा देवी का कोई सम्बन्ध नही हैं एवं इस विवादित भूमि से बंशीसिंह, प्रभाती देवी, शोभा उर्फ गोमा देवी का नाम राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

17/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

रिकार्ड से हजफ कराने के अधिकारी है एव अगर प्रतिवादीगण प्रभाती, शोभा उर्फ गोमा ने विवादित भूमियो का वादी के हक मे हकत्याग करने के बाद गुप्त रूप से कोई अन्तरण सम्बन्धित दस्तावेज प्रतिवादीगण के विरूद्ध कर दिया है तो उससे वादी पाबन्द नही है व अपने प्रति शून्य व प्रभावहीन घोषित कराने के अधिकारी है। भूमि खसरा नम्बर 2539 से 2545 कुल किता 7 कुल रकबा 3.45 हैक्टर तन श्रीमाधोपुर के 1/12 हिस्सा का खातेदार वादी हो जाने से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है एवं इस भूमि से प्रतिवादीगण प्रभाती देवी व गोमा उर्फ शोभा देवी का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कराने का अधिकारी हैं। भूमि खसरा नम्बर 1598 तन ग्राम मउ का 1/3 हिस्सा का खातेदार वादी हो चुका है व 1/3 हिस्सा का खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 व 1/6 हिस्सा का खातेदार दौलतसिंह व 1/6 हिस्सा का खातेदार प्रतिवादीगण नम्बर 3 से 11 को बहिस्सा बराबर–बराबर घोषित कर दिये जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबरन्ध फरमाया जावे कि भूमि खसरा नम्बर 2127, 2128, 2129, 2135, 2136, 2504 से 2508 कुल किता 11 कुल रकबा 3.34 हैक्टर तन श्रीमाधोपुर वर्तमान में इनके नाम 1/16 हिस्सा दर्ज है। उसका अन्तरण किसी को नही करे व न अन्तरण सम्बन्धी कोई दस्तावेज सब रजिस्ट्रार से तस्दीक करवाये, न प्रतिवादी सब रजिस्ट्रार तस्दीक करे न पटवारी हल्का तहसीलदार राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन करे व इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 2539 से 2545 कुल किता 7 कुल रकबा 3.45 हैक्टर तन श्रीमाधोपुर के भी 1/12 हिस्सा की खातेदारी प्रभाती व शोभा देवी के नमा से गलत रूप से आ रही है। उसे अन्तरण नही [illegible] न अन्तरण सम्बन्धी दस्तावेज

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:28 IST
Reason: SelfAttested

17/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सबरजिस्ट्रार से तस्दीकर करवाये, न सबरजिस्ट्रार तस्दीकर करे, एव सभी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2127, 2128, 2129, 2131, 2135, 2136, 2504 से 2508 कुल किता 11 कुल रकबा 3.34 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर के 1/6 हिस्से से वादी को बेदख नही करे, न खडी फसल सरसो व गेहू को नष्ट करे, न दीगर से करावे व भूमि खसरा नम्बर 2539 से 2545 कुल किता 7 कुल रकबा 3.45 हैक्टर तन श्रीमाधोपुर के 1/12 हिस्सा से वादी को बेदखल करे न दीगर से करावे व भूमि खसरा नम्बर 1598 रकबा 1.20 हैक्टर तन ग्राम मउ के 1/3 से न वादी को बेदखल करे न दीगर से करावे न ही कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। यह वाद बाबत इस्तकरार हक एव स्थाई निषेधाज्ञा वादी विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री भँवर सिंह एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 18 से 20 की तामील असालतन होने के बावजूद उपस्थित नही आने पर उक्त प्रतिवादीगण संख्या 18 से 20 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से राजीनामा पेश किया गया। जो बाद तस्दीक शामिल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 12 से 14, 16 व 17 के विरूद्ध वादपत्र ... पेश किये जाने व वकील प्रतिवादीगण के द्वारा कोई आप... पर प्रतिवादीगण संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:28 IST
Reason: SelfAttested

17/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तारीख हुक्म

3।

12 से 14, 16 व 17 के विरूद्ध वादपत्र विड्रा किये जाने की अनुमति दी गई। प्रतिवादीगण संख्या 6 से 11 की ओर से श्री प्रकाश मूण्ड एड0 ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। श्री प्रकाश मूण्ड एड0 के द्वारा हिदायत पैरवी नही किया जाना अवगत कराये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 6 से 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण मे तनकीयात कायम नहीं की जाकर प्रकरण को सीधे ही शहादत में लिया गया। वादीगण साक्ष्य में वादी भगवान सिंह एंव वादी साक्ष्य गवाह में मालीराम, रामरतन एव साक्ष्य प्रतिवादी में बंशीसिंह पुत्र हरदेवाराम के मुख्य परीक्षण में लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 6 से 11, 18 से 20 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने व प्रतिवादीगण संख्या 12 से 14, 16 व 17 के विरूद्ध वादपत्र विड्रा कर लिये जाने से तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से वकील वादीगण ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने अपनी–अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण का निस्तारण बरूए राजीनामा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने तथा प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादी के पक्ष में रा[illegible] पेश कर तस्दीक करवा लिये जाने से प्रकरण मे सीधे ही निर्णय पारित किया जाना [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:28 IST
Reason: SelfAttested

17/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हमने वकलाय उभय पक्षकारान् की बहुपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एव राजस्व रिकॉर्ड अंतिम बीसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2066-2069 दो जमाबन्दियाँ, 2068-2071 की जमाबन्दी, हकत्याग लेख दिनांकित 30.11.2009, वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस मे हुए राजीनामा, साक्ष्य वादी मे पेश वादी व गवाहान् के शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियो की खातेदारी पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण के बुजुर्गान/दादा व पिता मृत्तक हरदेवाराम के नाम हिस्से अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता हैं। उक्त भूमि पक्षकारान् की पैत्रृक कृषि भूमि होना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादी के पक्ष में हाजिर अदालत उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराये जाने तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 के पक्ष में डिक्री जारी किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं होना अपने राजीनामा में अंकित किया है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे अंकित तथ्यों की पुष्टि होती हैं तथा वादपत्र को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा वादी के पक्ष मे तस्दीक कराये गये राजीनामा से वादपत्र मे अंकित तथ्यों को बल प्रदान करता है। प्रकरण में अन्य शेष प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 14 व 16, 17 के विरूद्ध वादपत्र विड्रा कर लिये जाने तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 11 व 18 लगायत 20 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा राजीनामा पेश कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:28 IST
Reason: SelfAttested

17/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिये जाने से वादपत्र में तनकीवाईज निर्णय नही किया जाकर बरूए राजीनामा सीधे ही निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं। जिसके आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर वादपत्र को न्यायहित में डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत ईस्तकरार हक मय स्थाई निषेधाज्ञा को बरूए राजीनामा दिनांक 11.02.2017 के स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1598 रकबा 1.20 हैक्टर स्थित तन ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम, 1/4 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 को व 1/4 हिस्से का प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 11 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 का नाम हजफ किया जाता है। उक्त भूमि मे आने जाने का 12 फुट का रास्ता रहेगा। कृषि भूमि खसरा नम्बर 2127 लगायत 2129, 2131, 2135, 2136, 2504 से 2508 कुल किता 11 कुल रकबा 3.34 हैक्टर स्थित तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/8 हिस्से का वादी के, 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम, व 1/16 हिस्से का प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 11 के बहिस्सा बराबर-बराबर काबिज खातेद ... है तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ ... नम्बर 2539 लगायत 2545 कुल किता 7 कुल रकबा 3.45 हैक्टर स्थित ... ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:28 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
17/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हुक्म या कार्यवाही मय

श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/24 हिस्से का वादी को, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम, व 1/24 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 को व 1/24 हिस्से का प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 11 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि से प्रतिवादीगण प्रभाती देवी व गोमा उर्फ शोभा देवी का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। राजीनामा दिनांकित 11.02.2017 को निर्णय का भाग बनाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें ना ही दीगर से करावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण मे राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दुरस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

17/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज [illegible] 2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:28 IST
Reason: SelfAttested

17/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)